O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2460
Date 21 SEP 2023
AGM (IT)
SE (O)/SE Web
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन.:– U40108CT2003SGC015820

कार्या :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./11/2023/4782 रायपुर, दिनांक 15 SEP 2023

(अपील प्रकरण क्रमांक 11/2023)

श्रीमती मर्सी सक्सेना आवेदिका
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 15/09/2023 को पारित)

आवेदिका श्रीमती मर्सी सक्सेना, चांपा द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक पी/287 दिनांक 12.06.2023 के तारतम्य में सूचना नहीं मिला है का लेख करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज ।	आवेदिका द्वारा आवेदन दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से निम्नलिखित बिन्दुओं में जानकारी/दस्तावेज चाही गई है :– (अ) आवेदन क्रमांक पी/285 दिनांक 07.06.2023 पर कार्यवाही की जानकारी। यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो उस नियम की जानकारी दिलाएँ जिसके अंतर्गत रेखांकित पत्र पर मार्गदर्शन देने मानव/संसाधन असमर्थ है। (ब) आवेदन क्रमांक पी/285 दिनांक 07.06.2023 पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो उस दस्तावेजों की छायाप्रति दिलाएँ जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की जानकारी लेख है। (स) माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के नाम पदनाम की जानकारी दिलाएँ। (द) माना कि अध्यक्ष के कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं है तो उस नियम की छायाप्रति दिलाएँ जिसके तहत अध्यक्ष के कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध आवेदिका की अपील व कारण :–	आवेदन पत्र क्रमांक पी/287 दिनांक 12.06.2023 के तारतम्य में सूचना नहीं मिला है। अतएव धारा 7 (6) 19 (8) ख 20 (1) के अंतर्गत न्याय की अपेक्षा हेतु प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		24.08.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं आवेदिका अनुपस्थित रहें। अतः अपील में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(iv)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क /कथन :–		तालिका 2 (I) में वांछित बिन्दुवार जानकारी के संबंध में धारा 5(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग के DPIO से सहायता ली गई। DPIO से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 3749 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी/सूचना से अवगत करायी गई है :– बिन्दु क्रमांक 01 व 02 – तत्संबंधी जानकारी 01 पृष्ठ में संलग्न है। बिन्दु क्रमांक 03 – लेख है कि माननीय अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पॉवर कंपनीज, रायपुर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। बिन्दु क्रमांक 04– वांछित नियम इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रदान किया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 में चिकित्सा सुविधा मार्गदर्शन के संबंध में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में यू.ओ.नोट के माध्यम से आवेदिका को अवगत कराया गया है कि पॉवर कंपनी द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1726 दिनांक 18.10.2022 में राज्य शासन में कार्यरत पति या पत्नि (पॉवर कंपनी के अतिरिक्त) के पात्रता के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि **"राज्य शासन में कार्यरत पति या पत्नि (पॉवर कंपनी के अतिरिक्त) केन्द्रीय शासन/शासकीय उपक्रम/निजी क्षेत्र एवं अपने नियोजक से निश्चित चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा सुविधा पाने वाले/वाली पति या पत्नि पॉवर कंपनी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा सुविधा हेतु पात्र नहीं माने जायेगें। यह भी लेख है कि चिकित्सा सुविधा हेतु विद्युत कर्मी के परिवार एवं आश्रितों का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1726 दिनांक 18.10.2022 के परिपालनानुसार विद्युत कर्मी के स्थापना संबंधी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अतः चिकित्सा सुविधा हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बम्हनीडीह द्वारा जारी पत्र दिनांक 20.12.2022 के मान्यता/वैधता की पुष्टि कर्मचारी के स्थापना संबंधी कार्यालय से की जा सकती है।** बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 में स्पष्ट उल्लेख है कि माननीय अध्यक्ष, रायपुर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं है। अतः वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। सूचनाधिकार के अंतर्गत वांछित चिकित्सा सुविधा के संबंध में अपील आदेशानुसार, आवेदिका पति श्री कृपाराम सक्सेना को पूर्व में पत्र क्रमांक 2854 दिनांक 30.05.2023 के माध्यम से यथोचित जानकारी से अवगत करायी जा चुकी है।

			चूंकि परिपत्र कमांक 1726 दिनांक 18.10.2022, पॉवर कंपनी के वेबसाइड पर भी उपलब्ध है। उक्त परिपत्र में चिकित्सा पात्रता संबंधी नीति–नियम उल्लेखित है जिसका सूक्ष्मता से अवलोकन कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। अतएव सूचनाधिकार के अंतर्गत अनावश्यक ही एक ही विषयवस्तु के संबंध में जानकारी की मांग किया जाना तर्कसंगत नहीं है। अतः आवेदिका का अपील तर्क कथन कि वांछित सूचना नहीं मिला है स्वीकार योग्य नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत आवेदिका द्वारा तालिका 2 (1) में वांछित बिन्दुवार जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह विधिसंगत है।

सुनवाई के दौरान सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह ज्ञात हुआ कि जनसूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु कमांक 01 एवं 02 के संबंध में आवेदिका को निर्धारित समयावधि के भीतर चिकित्सा पात्रता सुविधा मार्गदर्शन के संबंध में जो जानकारी/सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह सही है जो स्वीकार योग्य है। सूचनाधिकार के अंतर्गत जिज्ञासाएं सूचना के अंतर्गत नहीं आती है। लोक सूचना अधिकारी सिर्फ सूचना की आपूर्ति कर सकता है। जहॉ तक बिन्दु कमांक 03 एवं 04 का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष, पॉवर कंपनीज रायपुर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी बिलकुल सही है। अतएव सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देना है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। वस्तुतः आवेदिका का अपील तर्क/कथन पूर्णतः भ्रामक व तर्कहीन है जो स्वीकार्य योग्य नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य का वहन किया गया है जो स्वीकार योग्य है। वस्तुतः जनसूचना अधिकारी का पक्ष एवं कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतएव तदनुसार अपील पंजीयन कमांक 11/2023 दिनांक 28.07.2023 समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

15/9/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।

(2) श्रीमती मर्सी सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला –जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर